

म.प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्र./बोर्ड/400

भोपाल, दिनांक 29/12/2021

:: आदेश ::

म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक-24 सं 1973) की धारा - 65 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं विकास नरवाल प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड एतद द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची के कालम (3) में उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत अपील/आवेदन सम्बन्धी अनुसूची के कालम नम्बर 4 में वर्णित शक्तियां मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल में पदस्थ कालम 02 में उल्लेखित अधिकारियों को आवंटित मंडी बोर्ड के आंचलिक कार्यालय के क्षेत्र अंतर्गत स्थित कृषि उपज मंडी समितियों हेतु प्रत्यायोजित करता हूँ -
-अनुसूची -

क्र.	अधिकारी का नाम, पदनाम एवं आवंटित संभाग	म.प्र कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा	प्रत्यायोजित की गयी शक्तियों की सीमा
1	2	3	4
1	श्री अमर सिंह सेंगर , प्र. अपर संचालक आंचलिक कार्यालय इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर के क्षेत्र में स्थित कृषि उपज मंडी समितियां ।	धारा-34(1) (ख) तथा (3)	अनुज्ञप्ति रद्द करने, निलंबित करने या नवीनीकरण करने से इनकार करने के विरुद्ध अपील प्राप्त करना व आदेश पारित करना व स्वविवेकानुसार किसी कालावधि के लिए मंडी समिति के इस सम्बन्ध में दिए गए आदेश को रोकने की शक्ति।
		धारा-59(1) एवं (2)	मंडी समिति की कार्यवाहियों को मंगाने व उनका परीक्षण करना और आवश्यकतानुसार उपांतरित करना, वातिल करना या उलटने या पुनर्विचार के लिए विप्रेषित करने तथा उनके निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति।
		धारा-61(3) एवं (4)	मंडी समिति की रुपये 1.00 लाख से 25.00 लाख (रुपये एक लाख से पच्चीस लाख) तक की शोध्य राशि के सम्बन्ध में जांच करने व विनिश्चय करने तथा रोकने की शक्ति ।
2	श्री एच. आर. लारिया संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय जबलपुर, रीवा के क्षेत्र में स्थित कृषि उपज मंडी समितियां ।	धारा-34(1) (ख) तथा (3)	अनुज्ञप्ति रद्द करने, निलंबित करने या नवीनीकरण करने से इनकार करने के विरुद्ध अपील प्राप्त करना व आदेश पारित करना व स्वविवेकानुसार किसी कालावधि के लिए मंडी समिति के इस सम्बन्ध में दिए गए आदेश को रोकने की शक्ति ।

		धारा-59(1) एवं (2)	मंडी समिति की कार्यवाहियों को मंगाने व उनका परीक्षण करना और आवश्यकतानुसार उपांतरित करना, वातिल करना या उलटने या पुनर्विचार के लिए विप्रेषित करने तथा उनके निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति।
		धारा-61(3) एवं (4)	मंडी समिति की रुपये 1.00 लाख से 25.00 लाख (रुपये एक लाख से पच्चीस लाख) तक की शोध राशि के सम्बन्ध में जांच करने व विनिश्चय करने तथा रोकने की शक्ति।
3	सुश्री संगीता ढोके, संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय भोपाल, सागर के क्षेत्र में स्थित कृषि उपज मंडी समितियां।	धारा-34(1) (ख) तथा (3)	अनुज्ञप्ति रद्द करने, निलंबित करने या नवीनीकरण करने से इनकार करने के विरुद्ध अपील प्राप्त करना व आदेश पारित करना व स्वविवेकानुसार किसी कालावधि के लिए मंडी समिति के इस सम्बन्ध में दिए गए आदेश को रोकने की शक्ति।
		धारा-59(1) एवं (2)	मंडी समिति की कार्यवाहियों को मंगाने व उनका परीक्षण करना और आवश्यकतानुसार उपांतरित करना, वातिल करना या उलटने या पुनर्विचार के लिए विप्रेषित करने तथा उनके निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति।
		धारा-61(3) एवं (4)	मंडी समिति की रुपये 1.00 लाख से 25.00 लाख (रुपये एक लाख से पच्चीस लाख) तक की शोध राशि के सम्बन्ध में जांच करने व विनिश्चय करने तथा रोकने की शक्ति।

1. उपरोक्त प्रदत्त शक्तियों में अनुसूची के कालम (4) में वर्णित विषयों में रुपये 25.00 लाख से अधिक राशि निहित होने सम्बन्धी प्रकरण प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड द्वारा सुने एवं निराकृत किये जायेंगे।

2. इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/बोर्ड/विधि/प्रत्या/91/पार्ट-2/100 दिनांक 09/02/2021 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।


यह आदेश तत्काल प्रभावशाली किया जाता है।


(विकास नरवाल)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. विशेष सहायक, माननीय अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल ।
3. श्री अमर सिंह सेंगर, प्र. अपर संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल की और पालनार्थ ।
4. श्री एच. आर. लारिया, संयुक्त संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल की और पालनार्थ ।
5. सुश्री संगीता ढोके, संयुक्त संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल की और पालनार्थ ।
5. अपर संचालक/ संयुक्त संचालक /उप संचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल ।
6. मुख्य अभियंता /अधीक्षण यंत्री /कार्यपालन यंत्री (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल ।
7. संयुक्त /उप संचालक, आंचलिक कार्यालय, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जबलपुर /ग्वालियर /भोपाल/सागर/उज्जैन/रीवा /इंदौर ।
8. भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मंडी समिति ----- जिला----- (समस्त) ।
9. समस्त पटल प्रभारी /आदेश नस्ती /सूचना पटल सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल